

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-516 / 2013
संस्थित दिनांक 20.06.2013
फाइलिंग नं.-234503000442013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — —अभियोजन

// **विरुद्ध** //

रमेश पिता कालीचरण, उम्र 30 साल,
साकिन भण्डारपुर थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — —आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 08/03/2018 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 506 भाग-दो के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 23.05.2013 को रात्रि 09:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम भण्डारपुर में फरियादी लक्ष्मीबाई गोवारा जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर व सीना दबाकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.13 को प्रार्थिया लक्ष्मीबाई गोवारा ग्राम चौकीदार के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह दिनांक 23.05.13 को दिन गुरुवार को अपने परिवार के साथ खाना खाकर रात में घर के बाहर आंगन में जमीन पर दरी बिछाकर सो रहे थे और उसके पति पास में खटिया डाल कर सोये हुये थे, तभी रात्रि करीब 09:00 बजे गांव का रमेश महार आया और उसका हाथ खींचकर बुरी नियत से उसका सीना दबाया, वह चिल्लाई तब उसके पति मूलचंद और उसकी बेटी सरीता जाग गये, जिन्हें देख कर रमेश महार जान से मारने की धमकी देते

हुये वहाँ से भाग गया। उसने घटना के बारे में गांव में कोटवार एवं अन्य लोगों को बतायी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मलाजखण्ड पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र 58/13 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश है।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी लक्ष्मीबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-दो के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 23.05.2013 को रात्रि 09:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम भण्डारपुर में फरियादी लक्ष्मीबाई गोवारा जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर व सीना दबाकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

05— परिव्रादी लक्ष्मीबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना करीब तीन वर्ष पूर्व रात्रि करीब 8:00 बजे ग्राम भण्डारपुर की है। घटना के समय आरोपी से उसका मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने घर चला गया। फिर लोगों के कहने पर उसने घटना के तीन-चार दिन बाद आरोपी के विरुद्ध थाना मलाजखंड में लिखित शिकायत प्र.पी.01 दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी लिखित शिकायत पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने झगड़े वाली जगह बताई थी और पुलिस ने उसके बताये अनुसार मौका-नक्शा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए

से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि घटना दिनांक 23.05.2013 को रात्रि करीब 9:00 बजे वह अपने परिवार के साथ खाना खाकर घर के बाहर सोई हुई थी और उसका पति भी पास में सोया हुआ था, परंतु आरोपी ने हाथ खींचकर उसका सीना नहीं दबाया था। साक्षी के अनुसार केवल मौखिक विवाद हुआ था। आरोपी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी गई थी।

06— परिवारी लक्ष्मीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

07— फरियादी लक्ष्मीबाई अ.सा.04 ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी के साथ केवल मौखिक विवाद हुआ था, उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गयी थी और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। फरियादी लक्ष्मीबाई अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। आरोपित अपराध के संबंध में प्रकरण में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी रमेश ने घटना दिनांक 23.05.2013 को रात्रि 09:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम भण्डारपुर में फरियादी लक्ष्मीबाई गोवारा जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर व सीना दबाकर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः आरोपी रमेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया

जाता है।

08- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

09- प्रकरण में आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 29.05.2013 से दिनांक 01.06.2013 तथा दिनांक 24.09.2013 से 25.09.2013 तक निरुद्ध रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

10- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
 दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही /-
 (अमनदीपसिंह छाबड़ा)
 न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
 जिला बालाघाट

सही /-
 (अमनदीपसिंह छाबड़ा)
 न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
 जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु
 न्याय / विधिक उपयोग